राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांकः– प.4(1)कार्मिक/क–2/अं.प्र./2006 जयपुर,दिनांक : 22-10-2024

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर्स सहित)

परिपत्र

विषयः– राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाहियों में अधिरोपित विभिन्न प्रकार के दण्डों का कार्मिक की पदोन्नति पर प्रभाव।

राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाहियों में राज्य सरकार के कर्मचारियों/अधिकारियों को दोषी पाये जाने पर आरोपित किये जाने वाले लघु अथवा वृहद दण्डों का प्रभाव संबंधित राज्यकर्मी की पदोन्नति पर भी पडता है। कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 26.07.2006 तथा परिपत्र दिनांक 04.06.2008 के भाग–I के बिन्दु सं. 16(पदोन्नति में दण्डादेश का प्रभाव) में राजसेवकों को दिए गए दण्डादेशों का पदोन्नति पर होने वाले प्रभावों के संबंध में निर्देश जारी किये गये है, जिसके अनुसार परिनिन्दा के दण्ड हेतु एक बार पदोन्नति से वंचित किये जाने का प्रावधान है।

दण्डादेशों के पदोन्नति पर होने वाले प्रभावों का पुनः परीक्षण किया गया। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाहियों में राज्यकर्मी को परिनिन्दा का दण्ड दिये जाने पर इससे संबंधित राज्यकर्मी की पदोन्नति प्रभावित नहीं होगी, अर्थात परिनिन्दा के दण्ड के कारण किसी भी राज्यकर्मी को पदोन्नति से वंचित नहीं किया जायेगा।

यह संशोधन जारी किये जाने की दिनांक से प्रभावी होगा। इस संशोधन के आधार पर पूर्व में आयोजित हो चुकी डीपीसी प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जायेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी विभाग में किन्हीं पदों की वर्ष 2024–25 की डीपीसी अभी तक आयोजित नहीं की जा सकी है, तो उक्त डीपीसी इस परिपत्र के नवीन प्रावधानों के अनुसार की जायेगी, परंतु पूर्व वर्षो की विभागीय पदोन्नति समिति/रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक इस परिपत्र के जारी होने के बाद आयोजित होती है, तो उसमें पूर्व की व्यवस्था ही लागू होगी।

अतः समस्त विभागाध्यक्षों एवं नियुक्ति प्राधिकारियों से निवेदन है कि कृपया भविष्य में होने वाली पदोन्नतियों में उक्त दिशा–निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित कराई जावें।

(कृष्णा कांत पाठक)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. रक्षित पत्रावली।

Signature valid
Digitally signed by Krishna Kant Pathak
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.10.22 12:35:57 IST
Reason: Approved

शासन सचिव

76/2024

RajKaj Ref No.: 11241054